संख्या- 8/2017/889/29-6-2017-20रिट/17

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 11 मई, 2017

विषय:-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये परिसीमन के पश्चात अस्तित्व में आयी नई ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेता नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4/2017/641/29-6-2002, दिनांक 21-04-2017 सपठित शुद्धिपत्र संख्या-6/2017/689/29-6-2002,दिनांक 25-04-2017 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये परिसीमन के पश्चात अस्तित्व में आयी नई ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेता नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। विभिन्न स्रोतों से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये जा रहे हैं कि नवीन परिसीमन के उपरान्त चौहददी के आधार पर किसी एक ग्राम पंचायत का निवासी किसी दूसरी ग्राम पंचायत का उचित दर विक्रेता हो जायेगा, जिससे शासनादेश संख्या-2715/29-6-2002-162सा/2001, दिनांक 17-08-2002 में उचित दर विक्रेता की नियुक्ति के सम्बन्ध में दुकानदार के स्थायी निवासी होने की शर्त का उल्लंघन होगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर शासन स्तर पर पुन: विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि परिसीमन के फलस्वरूप पुरानी ग्राम पंचायत से टूटकर नई ग्राम पंचायत गठित होने पर उचित दर विक्रेता का निवास एवं दुकान की चौहददी एक ही ग्राम पंचायत में अवस्थित होने पर उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21-04-2017 एवं शुद्धिपत्र दिनांक 25-04-2017 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, किन्तु पुरानी ग्राम पंचायत से टूटकर नवीन ग्राम पंचायत गठित होने के फलस्वरूप उचित दर विक्रेता का निवास एवं चौहददी अलग-अलग ग्रामसभाओं में अवस्थित होने पर उचित दर विक्रेता का निवास जिस ग्राम सभा में अवस्थित होगा, उसे उसी ग्राम सभा का उचित दर विक्रेता मानते हुए तदनुसार दुकान के चौहददी परिवर्तन की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। इस सीमा तक पूर्व में निर्गत सभी शासनादेश संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 889(1)29-6-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,उ0प्र0।

4- समस्त संयुक्त आयुक्त (खाद्य)/उपायुक्त (खाद्य), उ0प्र0।

5- समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,उ0प्र0।

6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।